प्रेस नोट
दिनांक 08.08.2026

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा दहेज हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना मनकापुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 319/2026 धारा 80(2),85 व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित दहेज हत्याभियुक्त- विन्दू पुत्र स्व0 ओमप्रकाश निवासी ग्राम बेनीपुर बघमरवा, थाना को0 मनकापुर, जनपद गोण्डा को बन्दरहा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.08.2026 को वादी अवधू पुत्र स्व0 वैजू निवासी ग्राम बगियापार, थाना नगर, जनपद बस्ती द्वारा थाना को0 मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री संजू की शादी लगभग 02 वर्ष 08 माह पूर्व विन्दू पुत्र स्व0 ओमप्रकाश निवासी ग्राम बेनीपुर, मजरा बघमरवा, थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा के साथ हुई थी। वादी के अनुसार, शादी के बाद से ही उसकी पुत्री संजू को उसके पति विन्दू द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित एवं मारपीट किया जाता था तथा वादी से ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) की मांग की जा रही थी। वादी द्वारा अपनी आर्थिक असमर्थता जताते हुए उक्त धनराशि देने में असमर्थता व्यक्त की गई। वादी के अनुसार, दिनांक 05.08.2026 को लगभग 02ः:00 बजे दहेज की मांग को लेकर पति विन्दू द्वारा उसकी पुत्री संजू के साथ मारपीट एवं प्रताड़ना की गई। इसके उपरान्त विन्दू द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से वादी को सूचना दी गई कि उसकी पुत्री संजू की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 08.08.2026 को थाना मनकापुर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर दहेज हत्याभियुक्त- विन्दू पुत्र स्व0 ओमप्रकाश निवासी ग्राम बेनीपुर बघमरवा, थाना को0 मनकापुर, जनपद गोण्डा को बन्दरहा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विन्दू पुत्र स्व0 ओमप्रकाश निवासी ग्राम बेनीपुर बघमरवा, थाना को0 मनकापुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-319/2026 धारा 80(2), 85 व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 कमल किशोर मिश्रा।
2. कां0 आयुष यादव
3. रि0आ0 अनूप कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 08.08.2026

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोटर पम्प बरामद -

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 309/2026, धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त- गोलू उर्फ अभिषेक सिंह पुत्र हरिवंश सिंह, निवासी ग्राम सेहरिया, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर रामनारायण बगिया में छिपाकर रखी चोरी की मोटर पम्प को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.08.2026 की रात्रि थाना वजीरगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सेहरिया निवासी देवराज सिंह के खेत में बने कमरे का ताला तोड़कर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कमरे में रखा मोटर पम्प सेट चोरी कर लिया गया। प्रातः वादी के पिता द्वारा खेत पर जाने पर घटना की जानकारी हुई। वादी द्वारा गोलू उर्फ अभिषेक सिंह निवासी सेहरिया एवं सत्या उर्फ महन्थू सिंह निवासी तुर्काडीहा पर चोरी करने का संदेह व्यक्त किया गया है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 08.08.2026 को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त- गोलू उर्फ अभिषेक सिंह पुत्र हरिवंश सिंह, निवासी ग्राम सेहरिया, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर रामनारायण बगिया में छिपाकर रखी चोरी की मोटर पम्प को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. गोलू उर्फ अभिषेक सिंह पुत्र हरिवंश सिंह, निवासी ग्राम सेहरिया, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-309/2026, धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 01 अदद मोटर पम्प

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 उमाशंकर प्रसाद, थाना वजीरगंज, गोण्डा
2. हे0का0 राजकरन यादव
3. हे0का0 विनोद कुमार सोनी
4. का0 शिवम पाल
5. का0 रजत सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 08.08.2026

25,000/- का इनामिया गैंगस्टर गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0-298/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 25,000/- रू0 के इनामिया गैंगस्टर मुमताज पुत्र लिल्लाही नि0 ग्राम महदेईया थाना को0 उतरौला जनपद बलरामपुर को शुक्लागंज बाजार के पास घेराबन्दी कर गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.09.2025 को तत्कालीन प्र0नि0 धानेपुर को क्षेत्र में भ्रमण/चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्तगण 1. रईश अहमद पुत्र मोअज्जम अली निवासी महदेईया बनंगवा थाना उतरौला जनपद बलरामपुर हालपता खलीया शुक्लागंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा, 2. हनीफ पुत्र गोली निवासी बंजारनपुर थाना कोतवाली नगर जनपद बलरामपुर स्थायीपता महराजगंज तराई जनपद बलरामपुर, 3. शाद आलम उर्फ सद्दू पुत्र हसमत अली निवासी अहरौली थाना सादुल्ला नगर जनपद बलरामपुर, 4.मुमताज पुत्र लिल्लाही निवासी महदेईया थाना श्रीदत्तगंज जनपद बलरामपुर, 5. मुन्ना खां पुत्र मुस्तफा खां निवासी सलेमगढ पठानी टोला, तरयां थाना तरयांसुजान जनपद कुशीनगर 6. हजरत पुत्र अमीरूद्दीन निवासी मुकुन्दपुर कुम्हरी टोला थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर द्वारा संगठित गिरोह संचालित किया जा रहा है। उक्त गिरोह समाज में भय बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु गौ-तस्करी व चोरी जैसे अपराध कारित करते है। उक्त गिरोह का कृत्य उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अन्तर्गत दण्डनीय पाया गया। गिरोहचार्ट तैयार कर अनुमोदन उपरान्त अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त मुमताज पुत्र लिल्लाही निवासी ग्राम महदेईया थाना कोतवाली उतरौला ,जनपद बलरामपुर गिरफ्तारी से बचने हेतु फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा अभियुक्त मुमताज की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु 25,000/-का ईनाम घोषित किया गया था। जिसमें दिनांक 08.08.2026 को थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा 25,000/- रू0 के इनामिया शातिर गैंगस्टर मुमताज पुत्र लिल्लाही निवासी ग्राम महदेईया थाना कोतवाली उतरौला ,जनपद बलरामपुर को शुक्लागंज बाजार के पास घेराबन्दी कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुमताज पुत्र लिल्लाही निवासी ग्राम महदेईया थाना कोतवाली उतरौला ,जनपद बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0-298/25 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0- 292/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनिय व 11 पशु क्रूरता व 120बी भादवि0 थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा
2.मु0अ0सं0-298/2025 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा
3.मु0अ0सं0-2441/2016 धारा 60 आबकारी अधिनिय थाना उतरौला जनपद बलरामपुर
4.मु0अ0सं0-427/2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनिय थाना उतरौला जनपद बलरामपुर
5.मु0अ0सं0-395/2007 धारा 379/511 भादवि0 थाना उतरौला जनपद बलरामपुर
6.मु0अ0सं0-304/2010 धारा 379/411 भादवि0 थाना उतरौला जनपद बलरामपुर
7.मु0अ0सं0-191/2010 धारा 379/411/413 भादवि0 थाना तरबगंज जनपद गोण्डा

गिरफ्तारकर्ता टीम-

1. थानाध्यक्ष विपुल कुमार पाण्डेय
2. उपनिरीक्षक त्रिपुरारी मिश्रा

3. मुख्य आऱक्षी फहीमुद्दीन खां
4. मुख्य आरक्षी आनन्द प्रकाश यादव
5. मुख्य आरक्षी कुशहर यादव
6. आरक्षी अवनीश यादव

<u>मीडिया सेल, गोण्डा</u>

प्रेस नोट
दिनांक 08.08.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा की पहलः ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस के सूचना तंत्र को मजबूत करने हेतु 301 पुलिस चौकीदारों को वितरित की गई साइकिलें-

गोण्डा। आज दिनांक 08.08.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा ''रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में आयोजित कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में नियुक्त 301 पुलिस चौकीदारों को साइकिल वितरित की गयी। पुलिस चौकीदार ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस विभाग के स्थानीय सूचना तंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। अपने-अपने ग्राम एवं क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने, कानून-व्यवस्था से संबंधित सूचनाओं को पुलिस तक पहुंचाने तथा अपराध की रोकथाम में पुलिस का सहयोग करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल ने पुलिस चौकीदारों से संवाद करते हुए कहा कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में नियमित भ्रमणशील एवं सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध गतिविधि, विवाद अथवा कानून-व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना की जानकारी तत्काल संबंधित थाना पुलिस को दें। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चौकीदारों को प्रदान की गई साइकिलों का उद्देश्य उनके ''कार्य क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाना'' तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस के सूचना तंत्र को और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाना है। साइकिल मिलने से चौकीदार अपने-अपने क्षेत्रों में आसानी से भ्रमण कर सकेंगे तथा पुलिस एवं आमजन के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहयोग करेंगे। महोदय द्वारा बताया गया कि जनसहयोग प्रभावी पुलिसिंग की आधारशिला है ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच एवं सूचना तंत्र को मजबूत करने में पुलिस चौकीदारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिस विभाग द्वारा चौकीदारों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने तथा उन्हें अपने दायित्वों के निर्वहन में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक दवाच्यॉ, प्रतिसार निरीक्षक श्री अजय प्रताप सिंह सहित जनपद के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण व विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए पुलिस चौकीदार उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 08.08.2026

डायल-112 की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पीआरवी टीम, गहरे पानी में डूब रहे व्यक्ति की बचाई जान-

गोण्डा। जनपद गोण्डा में आमजन की सुरक्षा एवं सहायता के लिए संचालित डायल-112 सेवा द्वारा एक बार फिर तत्परता एवं संवेदनशीलता का परिचय देते हुए गहरे पानी में डूब रहे एक व्यक्ति की जान बचाई गई। आज दिनांक 08.08.2026 को समय करीब 8ः00 बजे डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना धानेपुर क्षेत्रान्तर्गत एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब रहा है, जिसके तत्काल सहायता की आवश्यकता है। सूचना प्राप्त होते ही डायल-112 कंट्रोल रूम द्वारा संबंधित पीआरवी को घटना की सूचना देते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सूचना मिलते ही थाना धानेपुर क्षेत्र में संचालित ''पीआरवी संख्या-5643'' पर नियुक्त कमांडर आरक्षी हृदेश सिंह यादव एवं होमगार्ड चालक राकेश तिवारी द्वारा बिना किसी विलम्ब के तत्काल घटनास्थल की ओर रवाना होकर अत्यंत कम समय में मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया। मौके पर पहुंचने पर पुलिस टीम ने देखा कि ''खिलावन कोरी पुत्र श्री राम तीरथ निवासी बढ़ई पुरवा, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा'' गहरे पानी में डूब रहे है। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए पीआरवी कर्मियों द्वारा ''असाधारण तत्परता, साहस एवं सूझबूझ'' का परिचय देते हुए तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारम्भ किया गया। पीआरवी कर्मियों द्वारा अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना आवश्यक सावधानी बरतते हुए डूब रहे व्यक्ति को गहरे पानी से बाहर निकालने का प्रयास किया गया और ''खिलावन कोरी को सकुशल पानी से बाहर निकाल लिया गया।'' समय रहते पुलिस टीम द्वारा की गई इस त्वरित कार्रवाई के कारण एक व्यक्ति की जान बचाई जा सकी। पुलिस कर्मियों द्वारा व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर उसकी स्थिति का जायजा लिया गया तथा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई। घटना की सूचना पर स्थानीय लोगों एवं मौके पर मौजूद आमजन द्वारा पुलिस टीम की तत्परता एवं साहस की सराहना की गई। डायल-112 की सूचना प्राप्त होने के बाद पीआरवी कर्मियों द्वारा बिना समय गंवाए घटनास्थल पर पहुंचना तथा तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारम्भ करना पुलिस की ''त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली'' एवं जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ''कमांडर आरक्षी हृदेश सिंह यादव'' एवं ''होमगार्ड चालक राकेश तिवारी'' द्वारा दिखाई गई तत्परता, साहस एवं मानवीय संवेदनशीलता की स्थानीय नागरिकों द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

''गोण्डा पुलिस की अपील''

गोण्डा पुलिस द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि वर्तमान में बरसात के मौसम को देखते हुए ''नदी, नाले, तालाब, पोखर एवं अन्य गहरे जलस्रोतों के आसपास विशेष सावधानी बरतें।'' जलभराव एवं गहरे पानी वाले स्थानों पर अनावश्यक रूप से जाने से बचें तथा बच्चों एवं बुजुर्गों को ऐसे स्थानों पर अकेले न जाने दें। किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में घबराएं नहीं और तत्काल ''डायल-112'' पर सूचना दें। पुलिस एवं पीआरवी टीम द्वारा सूचना प्राप्त होते ही आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

मीडिया सेल, गोण्डा।